

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प...बीलाहेडी

पीठासीन अधिकारी:- विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

मनोज कुमार.....बनाम.....महेन्द्र वगैरा


दावा बाबत.....तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53-188 रा0का0अधि01955

मुकदमा नम्बर :-174/29.06.2016

निर्णय दिनांक:- 13.06.2017

वादी की ओर से.....वादी वकील.... उपस्थिति । प्रतिवादी की पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। इस वाद में आज तारीख 13.06.2017 को विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान (1) मनोजकुमार पुत्र जीतराम कोम अहीर साकिन वजीराबाद तहसील व जिला गुडगांवा को आराजी खसरा नम्बर 773/273 रकबा 2-13 बीघा लगान 3.18 रुपये ग्राम मसवासी तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर (2) महेन्द्र, तेजराम, दौलतराम, कृष्ण पुत्रान व रामरति, सुकमा पुत्रियान रमजू समभाग कोम जाट साकिन देह तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को आराजी खसरा नम्बरान 67/1-05, 75/0-16, 78/2-09, 82/1-13, 94/0-16, 99/1-03, 104/1-05, 129/0-09, 205/0-11 228/2-02, 239/0-10, 251/0-13, 295/1-17, 577/0-09 किता 14 रकबा 15-18 बीघा लगान 22.20 रुपयें वाके ग्राम मसवासी तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर अलग खाता कायम करने व खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, । प्रतिवादी को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के अलग खाते कब्जे काश्त की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


उपखण्ड अधिकारी
(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी (अलवर)
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट बीलाहेडी



मूल वाद में पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(लोक अदालत / ट्रेनिंग) कैम्प...बीलाहेडी
पीठासीन अधिकारी- विश्वामित्र मीना, आरएएस

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1903 के अन्तर्गत
स्टाम्प चार्ज पर प्रमादित अधिवार

1. आवरण पर अवतरण शुल्क... रु०
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प... रु०
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प... रु०
4. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय... रु०
5. कमीश्नर की फीस... रु०
6. आदेशिका की तामील... रु०

कुल योग... रु०

उनवान

मनोज कुमार.....बनाम.....महेन्द्र वगैरा

दावा बाबत.....तकासमा मय हुक्मईस्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53-188 रा0का0अधि01955

मुकदमा नम्बर :-174/29.06.2016

निर्णय दिनांक:- 13.06.2017

वादी की ओर से.....वादी वकील.... उपस्थिति । प्रतिवादी की पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। इस वाद में आज तारीख 13.06.2017 को विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान (1) मनोजकुमार पुत्र जीतराम कोम अहीर साकिन वजीराबाद तहसील व जिला गुडगांवा को आराजी खसरा नम्बर 773/273 रकबा 2-13 बीघा लगान 3.18 रुपये ग्राम मसवासी तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर (2) महेन्द्र, तेजराम, दौलतराम, कृष्ण पुत्रान व रामरति, सुकमा पुत्रियान रमजू समभाग कोम जाट साकिन देह तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को आराजी खसरा नम्बरान 67/1-05, 75/0-16, 78/2-09, 82/1-13, 94/0-16, 99/1-03, 104/1-05, 129/0-09, 205/0-11 228/2-02, 239/0-10, 251/0-13, 295/1-17, 577/0-09 कित्ता 14 रकबा 15-18 बीघा लगान 22. 20 रुपये वाके ग्राम मसवासी तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर अलग खाता कायम करने व खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, । प्रतिवादी को हुक्मईस्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के अलग खाते कब्जे काश्त की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख.....13.06.2017..को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट बीलाहेडी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	350/-	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प			
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प			
4.रुपयों पर प्लीडर की फीस			
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय			
6. कमिश्नर की फीस			
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	350/-	जोड़	